

प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि संबंधी  
बचनबद्धता प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत ग्राम ककरी में ककरी कोयला परियोजना को भारत सरकार के पत्र संख्या- 8-350/87-एफ.सी. दिनांक- 30.05.1989 एवं इसके कम में संयुक्त सचिव उ०प्र० शासन का आदेश संख्या- एल० 598/14-3-1989, दिनांक- 22.12.1989 द्वारा 185.84 हे० वन भूमि 30 वर्षों के लिए लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी। जिसकी लीज अवधि दिनांक- 21.12.2019 को समाप्त होने वाली है। उक्त लीज पर दी गयी 185.84 हे० वन भूमि को पुनः 20 वर्षों के लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। ककरी परियोजना से प्रभावित वन भूमि 185.84 हे० के बदले पूर्व में हरदोई में उपलब्ध कराई गयी 189.836 हे० गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। इसकी पुष्टि व विवरण के लिए प्रभागीय निदेशक, वन प्रभाग, हरदोई के पत्रांक 506/ककरी दिनांक अगस्त 4, 1992 को साथ में संलग्न किया जा रहा है। इस संबंध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा यदि गैर वन भूमि उपलब्ध कराये जाने की शर्तें लगाई जाती हैं तो उसके अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।

हरदाक्षर

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Signature)*  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनमठ (उ०प्र०)

(एल०पी० गोडसे)

General Manager  
Kakri Project  
N.C.L

महाप्रबंधक--ककरी परियोजना  
पता--गहाप्रबंधक कार्यालय  
ककरी परियोजना, पोस्ट--ककरी,  
जिला-सोनमठ (उ०प्र०)